खंड ३ संख्या ३

# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि २२ जनवरी, १९६८

सत्यमेव जयते

श्री एस० एन० चटर्जी अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय
द्वारा सचिवालय शाखा मुद्रणालय बिहार पटना में मुद्रित
१९६९

[मूल्य—३७ पैसे]

ग्वालटोली के मास्टर मजिरुद्दीन का पुत्र एवं बारसोईघाट के श्री ज्योतिन्द्र बोस से १९६६ ई० में विकास पदाधिकारी बारसोई में प्रत्येक मन में दो सेर काटकर दाम का भुगतान किया था, यदि हां तो इस अवैध कार्रवाई के कारण विकास पदाधिकारी बारसोई के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई होगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिलदेव सिंह—यह बात सही नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने खाद्यान्न

---

अधिप्राप्त आवेदन-पत्र १९६६ के अन्तर्गत सरकार के हाथ धान बेचा है उनसे प्रतिमन दो सेर धान का दाम काटकार भुगतान किया गया है।

कुल ५,३१९ क्वींटल ८५ किलो १०५ ग्राम धान की खरीदगी हुई तथा चन्द किसानों से जिसका धान विजातीय पदार्थ से मिश्रित था एवं निर्धारित १४ प्रतिशत से नमी की मात्रा अधिक थी उनसे आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग के पत्रांक १९६०२, दिनांक २७ नवम्बर १९६५, के आधार पर जितनी नमी और विजातीय पदार्थ से धान में छटनी होती उसी अनुपात में वैसे किसानों से (कुल धान ४ क्वींटल ९ के०जी० ९०० ग्राम) उनकी लिखित सहमति से लिया गया है। इस धान को प्रविष्टि भी स्कन्धपाल को खरीद पंजी में की गयी है।

इस श्रेणी के किसानों में से मास्टर मजिरुद्दीन के पुत्र सा० ग्वालटोली भी हैं। श्री ज्योतिचन्द्र बोस सा० बारसोईघाट से अधिक धान किसी रूप से नहीं लिया गया है।

अतएव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई के विरुद्ध ऊपर लिखे हवालात के कारण कोई कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।

---

नावानगर प्रखंड में कर्ज-वितरण।

४४८। श्री लाल बिहारी प्रसाद—क्या मंत्री, राज्व विभाग, यह बतलाने की कृपा

---

करेंगे कि—

(१) शाहाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड, नावानगर में जनवरी १९६७ से आजतक कर्ज के रूप में कितने रुपये बांटे गये हैं;

(२) उक्त प्रखंड में भूमिहीनों की कितनी संख्या है तथा उन्हें कितने रुपये बांटे गये ?

श्री इन्द्रदीप सिंह—(१) जनवरी, १९६७ से आजतक कर्ज के रूप में भूमिधारी एवं

---

भूमिहीन परिवारों को ६,०६,७९५ रु० वितरण किये गये हैं।

(२) इस प्रखंड में भूमिहीन परिवारों की संख्या ५,७०८ है जिसमें ३,१७७ भूमिहीन परिवारों को १,६१,६५० रु० तीन कैम्प में वितरण किया गया है। अन्य भूमिहीन परिवारों को कर्ज वितरण के सम्बन्ध में कार्यक्रम की सूचना दी जा चुकी है एवं और भी कर्ज का वितरण किया जायगा।